अनुदान संख्या 28 – व्यय विभाग
GRANT No. 28 - DEPARTMENT OF EXPENDITURE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	535,55,00	535,56,00	289,31,31	-246,24,69
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				243,77,57

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2052”	Major Head “2052”				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	47264.00	24224.33	24032.42	-191.91
पु.	R.	-23039.67			
मुख्य शीर्ष “2070”	Major Head “2070”				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	6291.00			
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-1337.90	4954.10	4898.89	-55.21

(I) ₹3.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2052” – “सचिवालय – व्यय विभाग” – के अंतर्गत ₹23231.58 लाख की बचत (₹47264.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने, कम्प्यूटर/सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति न होने, कोविड–19 महामारी के कारण कम परामर्शदाता लिए जाने और महालेखा नियंत्रण कार्यालय द्वारा नए भवन किराए पर लिए जाने में विलंब के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2070” – “प्रशिक्षण – विशेष श्रेणी प्राप्त राज्यों के अधिकारियों का वित्तीय प्रबंधन में प्रशिक्षण” के अंतर्गत – ₹1340.08 लाख की बचत (₹1911.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों की कम संख्या के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹424.13 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹559.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं : जैसाकि फरवरी, 2021 में मुख्य शीर्ष “2070” – “प्रशिक्षण – राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन सोसाइटी को सहायता अनुदान” के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(I) Provision of ₹3.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) Under Major Head “2052” - “Secretariat - Department of Expenditure” - saving of ₹23231.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹47264.00 lakhs) was due to less tours undertaken, non-procurement of computer/software, less hiring of consultants owing to COVID-19 pandemic and delay in hiring of new building by Office of Controller General of Accounts.

(III) Under Major Head “2070” - “Training - Training in Financial Management to Officers from Special Category States” - saving of ₹1340.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1911.00 lakhs) was due to less number of participants in the training programme conducted by National Institute of Financial Management owing to COVID-19 pandemic.

(IV) Under one head saving of ₹424.13 lakhs occurred constituting 12 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹559.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in February, 2021 under Major Head “2070” - “Training - Grants-in-aid to National Institute of Financial Management Society”.